

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड I

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 35] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 3, 1967/फल्गुन 12, 1888
No. 35] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 3, 1967/PHALGUNA 12, 1888

इस भाग में भिन्न पृष्ठ बना दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

LOK SABHA SECRETARIAT

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 3rd March 1967

No. 37/1/XVII/67/T.—The following order by the President dated the 2nd March, 1967, is published for general information:—

"In exercise of the powers conferred upon me by article 85 of the Constitution and of all other powers enabling me in this behalf, I hereby rescind my order dated the 9th January, 1967, published in the Gazette of India by the Lok Sabha Secretariat Notification No. 37/1/XVII/67/T. dated the 11th January, 1967, summoning the Lok Sabha to meet at New Delhi on Monday, the 13th March, 1967.

S. RADHAKRISHNAN,
President."

March 2, 1967.

No. 37/2/67/T.—The following order by the President dated the 3rd March, 1967, is published for general information:—

"In exercise of the powers conferred upon me by sub-clause (b) of clause (2) of article 85 of the Constitution, I hereby dissolve the Lok Sabha."

S. RADHAKRISHNAN,
President"

March 3, 1967

S. L. SHAKDHER. Secy.

लोक सभा सचिवालय

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 3 मार्च, 1967

संख्या 37/1/सत्तरह/67/टी—राष्ट्रपति का दिनांक 2 मार्च, 1967 का निम्नलिखित आदेश सामान्य सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है:—

“संविधान के अनुच्छेद 85 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का तथा इस सम्बन्ध में सामर्थ्य देने वाली समस्त अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं दिनांक 9 जनवरी, 1967 के अपने आदेश को, जो दिनांक 11 जनवरी, 1967 की लोक सभा सचिवालय अधिसूचना संख्या 37/1/सत्तरह/67/टी द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जिसमें सोमवार, 13 मार्च, 1967 को नई दिल्ली में सत्र के लिए लोक-सभा को बलाया गया था, एतद्द्वारा विखंडित करता हूं।

2 मार्च, 1967

एस० राधाकृष्णन, राष्ट्रपति।”

संख्या 37/2/67/टी.—राष्ट्रपति का दिनांक 3 मार्च, 1967 का निम्नलिखित आदेश सामान्य सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है :

संविधान के अनुच्छेद 85 के खण्ड (2) के उ-खण्ड (ख) द्वारा मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं एतद्द्वारा लोक सभा को विघटित करता हूं।

एस० राधाकृष्णन, राष्ट्रपति।”

3 मार्च, 1967

श्यामलाल शक्कर, सचिव।